26/9/24 – अभिलेख प्राप्त हुआ। अभिलेख पत्रावली की एक पक्षीय कार्यवाही की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। सामान्य निर्देशन के प्रार्थिया वादग्रस्त आराजी में प्रथम दृष्टया काबिज है। इसलिए प्रा. पत्र के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थिनी के पक्ष मे है अतः प्रार्थिया का प्रा. पत्र स्वीकार किया जाता है। पूर्व आदेश – दिनांक 23/11/22 को तामेलशुदा वाद मे पुनः किया जाता है। पत्रावली फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी रियांबड़ी
जिला–नागौर